

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

शैक्षणिक शाखा

नस्ति स. 6-38/2005(एस.यू.जी.)-हि.प्र.वि.(शै.)भाग-4

दिनांक: 13.05.2015

परिपत्र

कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 23.08.2014 की निरन्तरता में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशेष प्रकरण के तौर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रवेशित छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा जोकि तृतीय सत्र तक उर्तीण करनी अनिवार्य थी उसे पांचवे सत्र तक परीक्षा उर्तीण करने की अनुमति प्रदान की है।

शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय सत्र तक परीक्षा उर्तीण करना अनिवार्य है।



कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

शिमला -171005

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों से निवेदन किया जाता है कि सत्र 2013-14 में समस्त प्रवेशित छात्रों से उपरोक्त निर्णयानुसार पांचवे सत्र तक पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उर्तीण करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5
3. परीक्षा नियन्त्रक/अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक, हि.प्र.वि. शिमला-5
4. अधिष्ठाता योजना एवं अध्यापक मामले हि.प्र.वि.वि.शिमला-5
5. वरिष्ठ निजी सचिव माननीय कुलपति/कुलसचिव हि.प्र.वि. शिमला-5
6. अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण हि.प्र.वि. शिमला-5
7. निदेशक, इकडोल, हि.प्र.वि. शिमला-5
8. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय)/मूल्यांकन/पूर्व मूल्यांकन/संचालन हि.प्र.वि. शिमला-5
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, परीक्षा शाखा (यू.जी.)/दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र हि.प्र.वि. शिमला-5
10. वैबमास्टर हि.प्र.वि. शिमला-5 से निवेदन कि इस उपरोक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर डालें।
11. प्रभारी, संगणक केन्द्र परीक्षा शाखा, हि.प्र.वि. शिमला-5 को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
12. अधीक्षक प्रवेश (शैक्षणिक शाखा) हि.प्र.वि. शिमला-5



कुलसचिव